

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 04ए/17

पुराना व्य.वाद.क्र. 20ए/11

संस्थापन दिनांक:-04/01/11

फाईलिंग नं. 2335040001422016

1. श्रीमती कृष्णमूर्ति पिता स्व. सल्लूसिंग उर्फ भगवान सिंह
पति रूपसिंग कुशवाह, निवासी संतोष माता मंदिर के पास,
रतेड़ा रोड वार्ड नं. 02, तहसील आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)
 2. श्रीमती राजकुमारी पिता स्व. सल्लूसिंग उर्फ भगवान सिंह
पति घुड़नसिंग, उम्र 45 वर्ष, निवासी टिकारी,
तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.)
-वादीगण

वि रू द्ध

1. भोजराज सिंह पिता सल्लूसिंग, उम्र 45 वर्ष
 2. प्रेमसिंग पिता सल्लूसिंग, उम्र 42 वर्ष
दोनों निवासी एम.ई.एस. कॉलोनी बोड़खी,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 3. हीरासिंग पिता सल्लूसिंग, उम्र 40 वर्ष
निवासी ग्राम पिपरिया छुई,
तहसील कान्हीवाड़ा, जिला सिवनी (म.प्र.)
 4. श्रीमती ब्रम्हवली बेवा सल्लूसिंग (फौत)
 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)
 6. श्रीमती रामकली पति लच्छीराम राठौर
 7. श्रीमती सुशीला पति धन्नू राठौर,
 8. दुलारी पति रामाधार राठौर
क्र. 6 से 8 निवासी निवासी आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 9. ज्योत्सना पति दामोदर शर्मा,
निवासी बोहनी, निवासी तहसील गाडरवाड़ा,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
-प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 25.07.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 173/1 रकबा 0.260 हे., ख.नं. 173/2 रकबा 0.011 हे., ख.नं. 708/2 रकबा 1.191 हे. एवं कसारी मोहल्ले में आबादी भूमि पर स्थित मकान जिसके उत्तर में प्रेमनारायण, दक्षिण में राजकुमार कसार, पूर्व में चिरोंजी वगैरह और पश्चिम में शिवपाल धोबी का मकान है, (अत्र पश्चात विवादित भूमि एवं मकान) का बंटवारा एवं पृथक आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु तथा राजस्व आदेश दिनांक 15.10.1995 को निरस्त कराये जाने बाबत पेश किया गया है।

2 यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ब्रम्हवली की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वंश वृक्ष स्वीकृत है तथा उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि का पैतृक होना भी स्वीकृत है।

3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता सल्लू सिंह की मृत्यु दिनांक 06.09.1994 को होने के बाद प्रतिवादीगण ने विवादित पैतृक भूमि पर आदेश दिनांक 15.10.1995 के द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि वादीगण का भी विवादित भूमि पर बराबरी का अंश था। इसके बाद भी उनका नाम नहीं चढ़ाया गया। प्रतिवादी क्र. 04 ने उसके पति एवं वादीगण के पिता सल्लूसिंह की मृत्यु उपरांत अपनी पुत्री वादी कृष्णमूर्ति की सेवा से प्रसन्न होकर विवादित भूमि ख.नं. 173/1 में से रकबा 0.022 हे. जिस पर मकान बना हुआ है, उसे पंजीकृत वसीयत कर दी। यह मकान वादी कृष्णमूर्ति को पिता सल्लूसिंह के जीवनकाल में ही दे दिया गया था। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है परंतु इसके बाद भी प्रतिवादी क्र. 03 एवं 04 ने विवादित भूमि ख.नं. 708/2 के कुछ अंशों का विक्रय कर दिया है। वार्ड क्र. 03 में कसारी मोहल्ले में पैतृक मकान भी है। किसी भी संपत्ति का वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। समस्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक संपत्ति है। विवादित भूमियों के विक्रय हेतु प्रतिवादीगण द्वारा इशतेहार जारी किये जाने पर वादीगण के द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि विवादित संपत्ति भूमि एवं मकान पर वादीगण का भी प्रतिवादीगण के बराबर हिस्सा है। अतः यह दावा विवादित भूमि एवं मकान के विभाजन, आधिपत्य की प्राप्ति एवं नामांतरण आदेश दिनांक 15.10.1995 अवैध होने के कारण निरस्त कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4 प्रतिवादी क्र. 01 से 04 के द्वारा संयुक्त रूप से वाद पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि पर नामांतरण की वादीगण को पहले से ही जानकारी है। वादीगण के विवाह के समय प्रतिवादीगण के पिता सल्लूसिंह एवं प्रतिवादीगण के द्वारा दान दहेज में पर्याप्त राशि दे दी गयी थी। इसी कारण वादीगण की पूर्ण सहमति थी। उनकी सहमति के कारण ही नामांतरण के समय उनका नाम विवादित भूमियों में दर्ज नहीं किया गया। प्रतिवादी क्र. 04 के द्वारा वसीयतनामा वादी कृष्णमूर्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है क्योंकि प्रतिवादी क्र. 04 को वसीयत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमियों का उनके पिता के जीवनकाल में ही बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा उपरांत प्रतिवादी क्र. 03 एवं 04 ने अपने हिस्से की भूमि ख.नं. 708/2 में से कुछ अंशों का विक्रय कर दिया है परंतु वादीगण ने क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया है। कसारी मोहल्ला स्थित मकान प्रतिवादीगण ने स्वयं की अर्जित आय से बनाया है। वादीगण ने उचित न्यायालय शुल्क भी अदा नहीं किया है। अतः उनका दावा सव्यय खरिज किया जाये।

5 प्रतिवादी क्र. 09 की ओर से पृथक जवाबदावा प्रस्तुत कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 708/2 रकबा 1.154 आरे में से 0.348 हे. प्रतिवादी क्र. 03 हीरासिंह को मौखिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी और राजस्व दस्तावेजों में ख.नं. 708/12 पर उसका नाम भी दर्ज हो गया था। इसी भूमि को प्रतिवादी क्र. 03 हीरासिंह ने उसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2008 के माध्यम से विक्रय किया है जिसमें वादीगण की पूर्ण सहमति थी। प्रतिवादी क्र. 09 सद्भाविक क्रेता है। प्रतिवादी क्र. 09 के पक्ष में जो विक्रय किया गया है वह वादीगण के हिस्से की नहीं है। वादीगण ने कसारी मोहल्ला स्थित मकान में भी बंटवारा चाहा है परंतु पर्याप्त न्यायालय शुल्क वादीगण ने अदा नहीं किया है। अतः दावा सव्यय खारिज किया जावे।

6 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादीगण क्र. 01 से 04 के पक्ष में दिनांक 15.10.1995 को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित संशोधन क्र. 192 अवैध होकर वादीगण के उपर बंधनकारी नहीं है ?	
2.	क्या मौजा आमला स्थित कृषि भूमि ख.नं. 173/1	

	रकबा 0.260, ख.नं. 173/2 रकबा 0.011, ख.नं. 708/2 रकबा 1.191 हे. भूमि एवं कसारी मोहल्ला में स्थित लेंटर वाला मकान में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 से 04 का बराबर-बराबर हक है ?	
3.	क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि का पृथक बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
4.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क चरपा नहीं किया है ?	
5.	क्या वाद समयावधि बाह्य है ?	
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

7 वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि ख.नं. 173/1, 173/2, 708/2 में उनका हक समाप्त करने की नीयत से नामांतरण के समय उनका नाम दर्ज नहीं कराया और न ही उन्हें नामांतरण की कोई सूचना दी। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि वादीगण को प्रारंभ से ही नामांतरण की जानकारी थी और उनके विवाह के समय दहेज में पर्याप्त राशि दी जा चुकी थी। प्रतिवादीगण के पिता ने विवादित संपत्ति का मौखिक बंटवारा कर दिया था जिसमें वादीगण ने विवादित भूमि पर कोई भी हक हिस्सा न चाहे जाने की सहमति दी थी इसलिए पिता सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत विवादित भूमियों पर उनका नाम दर्ज नहीं कराया गया है।

8 साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अनुसार सिद्धी का भार उस व्यक्ति पर रहता है जो मामलों के तथ्यों के अनुसार असफल होगा। विधिक दृष्टि से वादीगण विवादित भूमियों की संयुक्त उत्तराधिकारी होने के कारण यदि उभयपक्ष को वर्तमान की स्थिति में छोड़ दिया जाये तो प्रतिवादीगण असफल होंगे इसलिए प्रतिवादीगण पर इस बात की सिद्धी का भार है कि वह प्रमाणित करे कि वादीगण ने विवादित भूमियों पर अपना हक त्याग करते हुए अपना नाम न दर्ज कराने की सहमति दी थी परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य

प्रस्तुत की गयी है तथा मौखिक साक्ष्य से प्रतिवादीगण वादीगण की स्वीकारोक्ति को प्रमाणित नहीं कर पाये हैं इसलिए वादीगण ने यदि ऐसी कोई सहमति दी भी थी तो वे उससे पाबंद नहीं हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वादीगण के द्वारा भूमियों में अपने हित का परित्याग किया गया था तो वह भी किसी पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। **साक्ष्य अधिनियम की धारा 91** के अनुसार जिन दस्तावेजों का विधि की दृष्टि में पंजीयन होना आवश्यक है उसके तथ्यों को मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की उपर्युक्त सहमति के संबंध में कोई भी लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही नामांतरण पंजी वर्ष 1995-96 (प्रदर्श पी-8) के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत मात्र उसके पुत्र एवं पत्नी का ही नाम क्यों दर्ज किया गया। साथ ही यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि वादीगण ने अपना नाम न दर्ज कराना व्यक्त किया हो। अतः ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा पारित संशोधन क्र. 192 दिनांक 15.10.1995 विधिवत होना नहीं पाया जाता है तथा उपर्युक्त आदेश से वादीगण के हित प्रभावित नहीं माने जा सकते और न ही आदेश वादीगण के उपर बंधनकारी माना जा सकता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 01 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 02 का निराकरण

9 वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि एवं मकान उसके पिता सल्लूसिंग की खानदानी है जिस पर उनके पिता सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिवादीगण के साथ बराबरी का अंश व हिस्सा था परंतु प्रतिवादीगण ने नामांतरण के समय उनका हिस्सा समाप्त करने का आशय रखते हुए उनका नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज नहीं कराया और न ही इस बारे में कोई सूचना दी। विवादित मकान एवं भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादीगण का विवादित भूमि एवं मकान में प्रतिवादीगण के साथ बराबर हिस्सा है। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि वादीगण को उनके विवाह के समय सल्लूसिंग एवं प्रतिवादीगण के द्वारा पर्याप्त दान दहेज दिया जा चुका था। इसी कारण से वादीगण ने उनके पिता सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत नाम दर्ज न कराया जाना और कोई हिस्सा न चाहा जाना व्यक्त किया था। उन्हें प्रारंभ से ही राजस्व अभिलेख में हुए नामांतरण की जानकारी थी। विवादित भूमि एवं मकान का प्रतिवादी क्र. 01 से 04 के बीच मौखिक बंटवारा हो चुका है। चूंकि वादीगण को उनके विवाह के समय पर्याप्त राशि दे दी गयी थी। अतः अब उनका विवादित भूमि एवं मकान में कोई भी हक एवं हिस्सा नहीं है।

10 उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत है कि विवादित भूमि एवं मकान उनकी पैतृक संपत्ति है। इस संबंध में वादीगण ने दस्तावेज जमाबंदी मौजा

आमला वर्ष १९५०-५१ एवं अधिकार अभिलेख वर्ष १९७१-७२ प्रस्तुत किया है परंतु वादीगण के द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं कराया गया है लेकिन उपर्युक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज होकर सत्यप्रतिलिपि हैं जो कि अभिलेख पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं। अतः उपर्युक्त दस्तावेजों पर न्यायालय द्वारा निर्णय के समय प्रदर्श अंकित किया गया। उपर्युक्त दस्तावेज जमाबंदी वर्ष १९५०-५१ (प्रदर्श पी-९) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि ख.नं. ४४० दयालसिंग, सल्लूसिंग पिता शंकर एवं नरबदी पति शंकरसिंग के नाम पर दर्ज है तथा ख.नं. ८२ एवं ८३/१ सल्लूसिंग पिता शंकर तथा नरबदी पत्नी शंकरसिंग के नाम पर दर्ज है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष १९७१-७२ (प्रदर्श पी-१०) के अवलोकन से ख.नं. ४४० का नया नंबर ७०८ एवं ख.नं. ८२ एवं ८३/१ का नवीन ख.नं. १७३ होना प्रकट हो रहा है तथा उपर्युक्त ख.नं. १७३ सल्लूसिंग एवं नरबदी पत्नी शंकरसिंग तथा ख.नं. ७०८ सल्लूसिंग पिता शंकरसिंग एवं द्वारका प्रसाद पिता गोकुलसिंग के नाम पर दर्ज होना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा ही प्रस्तुत दस्तावेज नामांतरण पंजी वर्ष १९९५-९६ के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. १७३/१ रकबा ०.२८० हे. एवं ख.नं. १७३/२ रकबा ०.०११ हे. तथा ख.नं. ७०८/२ रकबा १.२०९ हे. सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र प्रतिवादी क्र. ०१ से ०३ एवं पत्नी ब्रम्हवती प्रतिवादी क्र. ०४ के नाम पर आना प्रकट हो रहा है। विवादित भूमियों के सल्लूसिंग के पिता शंकरसिंग के नाम पर होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि सल्लूसिंग को विवादित भूमियां किस प्रकार मिली परंतु अधिकार अभिलेख (प्रदर्श पी-१०) एवं मौजा जमाबंदी (प्रदर्श पी-९) के अवलोकन से यह उपधारित किया जा सकता है कि शंकरसिंग की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र सल्लूसिंग एवं पत्नी नरबदी के नाम पर विवादित भूमियां आयी होंगी।

११ विवादित मकान के संबंध में वादी ने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह दर्शित हो कि विवादित मकान सल्लूसिंग के नाम पर दर्ज रहा हो परंतु प्रतिवादीगण द्वारा विवादित मकान अपने पिता का होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी साक्षी प्रेमसिंह (प्र.सा.-१) ने पैरा क्र. ०९ में यह बताया है कि कसारी मोहल्ले का मकान शंकरसिंह अर्थात् उसके दादा का था। स्वतः में कहा कि वह कच्चा मकान था। साक्षी ने पैरा क्र. १२ में यह बताया है कि उसके पिता सल्लूसिंग सेवानिवृत्त उपरांत कसारी मोहल्ले में रहते थे और इसी मकान में उनकी मृत्यु हुई थी। हीरासिंग (प्र.सा.-२) ने पैरा क्र. ०९ में यह बताया है कि कसारी मोहल्ले वाला मकान शंकरसिंह की खरीदी संपत्ति है तथा इस मकान को उसके पिता सल्लूसिंग ने रहने लायक बनाया। वह उसके भाई तथा विवाह के पूर्व उसकी बहनें सभी लोग कसारी मोहल्ले वाले मकान में ही रहते थे। बलराम सिंग (प्र.सा.-३) ने यह बताया है कि सल्लूसिंग, शंकरसिंग का इकलौता पुत्र था और कसारी मोहल्ले में सल्लूसिंग का एक मकान था। अतः

उभयपक्ष की स्वीकृति एवं उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि ख.नं. 173/1 रकबा 0.260, ख.नं. 173/2 रकबा 0.011 हे. एवं ख.नं. 708/2 रकबा 1.209 हे. तथा कसारी मोहल्ला स्थित मकान वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता सल्लूसिंग के स्वत्व का है। अर्थात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है।

12 प्रतिवादीगण क्र. 01 से 04 का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि एवं मकान का बंटवारा उनके पिता सल्लूसिंग के जीवनकाल में ही हो चुका है तथा वादीगण राजस्व दस्तावेजों में विवादित संपत्तियों पर उनका नाम दर्ज न कराये जाने के संबंध में उनकी सहमति थी। अतः वादीगण का विवादित संपत्ति पर कोई हक, हिस्सा नहीं है। जबकि वादीगण ने यह प्रकट किया है कि विवादित संपत्तियों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि एवं मकान का मौखिक विभाजन होना बताया है तथा उनकी ओर से ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह दर्शित हो कि विवादित संपत्ति को मौखिक बंटवारा हो जाने के पश्चात जो हिस्सा उन्हें बंटवारे में प्राप्त हुआ हो वह उनके नाम पर आ गया हो। प्रेमसिंग (प्र.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह बताया है कि उसे विवादित मकान में पश्चिम दिशा का हिस्सा मिला था और विवादित भूमि ख.नं. 173/1 में दक्षिण दिशा का और ख. नं. 708/2 में पश्चिम तरफ का हिस्सा मिला था और पिता सल्लूसिंग की मृत्यु उपरांत बंटवारे में मिली भूमि पर उसका नाम दर्ज हो गया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि विवादित भूमि का भाईयों के बीच में जो बंटवारा हुआ वह राजस्व रिकार्ड में शामिलशरीक दर्ज है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसके पिता सल्लूसिंग ने बंटवारा लिखित में नहीं किया था। स्वतः में बताया है कि मौखिक बंटवारा सबकी उपस्थिति में किया था।

13 हीरासिंग (प्र.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 17 में यह बताया है कि विवादित भूमियों के मौके पर अलग-अलग बंटवारे हो गये हैं। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि भाईयों ने आपस में बंटवारे कर लिये थे। **स्वतः में कहा है कि मामा लोगों ने बंटवारा कराया था उसकी कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी।** पैरा क्र. 20 में साक्षी ने यह बताया है कि पिता ने अपने जीवनकाल में बंटवारा कर दिया था और उसी आधार पर उनके नाम फौती नामांतरण में आये। प्रतिवादीगण ने विवादित संपत्तियों का मौखिक बंटवारा होना बताया है परंतु ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि प्रतिवादीगण बंटवारा उपरांत बंटवारे में प्राप्त भूमि के आधिपत्य में हो। वादीगण द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 173/1, 173/2 एवं 708/2 के राजस्व दस्तावेज खसरा एवं किश्तबंदी वर्ष 2008-09 प्रदर्श कमशः 3 लगायत प्रदर्श पी-6 प्रस्तुत किये गये हैं। उनके अवलोकन से विवादित भूमियां ख.नं. 173/1 एवं ख.नं. 708/2 प्रतिवादी क्र. 01 से 04 के नाम पर संयुक्त

शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही है। साथ ही प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 ने यह बताया है कि उनकी मां ब्रम्हवली को उनके पिता ने बंटवारे में मकान का कोई भी हिस्सा नहीं दिया था। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि बंटवारा किये जाते समय पति अपनी पत्नी के लिए मकान में उसके रहने हेतु कोई भी भाग न दे। अतः उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि एवं मकान का विधिवत बंटवारा नहीं माना जा सकता।

14 वादी क्र. 01 कृष्णमूर्ति ने यह भी अभिवचन किया है कि उसकी मां प्रतिवादी क्र. 04 ब्रम्हवली के द्वारा उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 08 फरवरी 2008 को विवादित भूमि ख.नं. 173/1 रकबा 0.022 हे. जिस पर मकान भी बना है, पंजीकृत वसीयत कर दी। वादी का आगे यह भी अभिवचन है कि उक्त मकान उसे उसके पिता सल्लूसिंग के जीवनकाल में ही दे दिया गया था और इसी मकान को प्रतिवादी क्र. 04 ब्रम्हवली द्वारा उसे वसीयत किया गया। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि **प्रतिवादी क्र. 04 ब्रम्हवली को वसीयत करने का अधिकार ही नहीं था और जिस मकान में वादी रह रही है वह प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 के द्वारा बनाया गया है। कथित वसीयत फर्जी एवं अवैध है।**

15 किसी वसीयत को प्रमाणित करने के लिए धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सुसंगत हैं। धारा 63 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि विल दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए। जिसमें से प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर या निशान लगाए गए हों या निष्पादक ने उसके हस्ताक्षर या निशान होने की अभिस्वीकृति दी हो और प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी ने निष्पादक के समक्ष अपने हस्ताक्षर उस पर किए हों। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक से अधिक अनुप्रमाणक साक्षी एक ही समय पर किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित रहे। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज जिसका विधि के अनुसार अनुप्रमाणन आवश्यक हो वह ऐसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन साबित करने के लिए ना बुलाया गया हो।

16 किसी वसीयतनामे का अनुप्रमाणन किस रीति से किया जायेगा इसे साबित करने हेतु किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Janki Narayan Bhoir Vs Narayan namdeo kadam AIR 2003 SC 761** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं :- *"On a combined reading of Section 63 of the Succession Act with Section 68 of the Evidence act, it appears that a person propounding the Will has got to prove that the Will was duly*

and validly executed. That cannot be done by simply proving that the signature on the Will was that of the testator but must also prove that attestations were also made properly as required by Clause (c) of Section 63 of the Succession Act. It is true that Section 68 of Evidence Act does not say that both or all the attesting witnesses must be examined. But at least one attesting witness has to be called for proving due execution of the Will as envisaged in Section 63. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a Will. To put in other words, if one attesting witness can prove execution of the Will in terms of Clause (c) of Section 63, viz. attestation by two attesting witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a Will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the Will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in his evidence, satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of Will at least by two witnesses for the simple reason that the execution of the Will does not merely mean the signing if it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act."

17 वादी कृष्णमूर्ति के द्वारा वसीयत को प्रमाणित कराये जाने हेतु अनुप्रमाणक साक्षी मुकुंद सिंह (वा.सा.-2) को परीक्षित कराया गया है। मुकुंद सिंह (वा.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्रीय कथनों में यह बताया है कि सल्लू सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी ब्रम्हवली (मृत प्रतिवादी) को मकान बंटवारे में दे दिया था और इसी मकान को ब्रम्हवली ने अपनी पुत्री वादी कृष्णमूर्ति के नाम कर दिया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रदर्श पी-1 का वसीयत का दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार कराया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वादी कृष्णमूर्ति ने ब्रम्हवली से फर्जी वसीयतनामा बनवाया था। साक्षी ने स्वतः में कहा है कि वसीयतनामा रजिस्टर्ड बनाया गया था। वादी कृष्णमूर्ति ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्रीय कथन में यह बताया है कि विवादित भूमि ख.नं. 173/1 रकबा 0.022 हे. पर निर्मित मकान उसके पिता सल्लूसिंग द्वारा उनके जीवनकाल में ही उसकी मां ब्रम्हवली को बंटवारे में दे दिया गया था और इसी मकान को उसकी मां ब्रम्हवली ने उसके नाम पर वसीयत कर दी है।

18 वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वसीयतकर्ता ब्रम्हवली के द्वारा ख.नं. 173/1 में का रकबा 0.022 हे. वसीयत किया जाना लेख है परंतु उपर्युक्त वसीयतनामा में कहीं पर भी उक्त भूखण्ड पर

मकान निर्मित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। न ही इस बाबत उल्लेख किया गया है कि उसे यह भूखण्ड मय मकान अपने पति सल्लूसिंग से बंटवारे में मिला। कृष्णमूर्ति (वा.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे सन 1980 में जगह उसके पिता ने दी थी जिस पर उसने मकान बनाया। उसे यह जमीन उसके पिता ने दान में दी थी और यह दान पत्र उसके भाईयों प्रतिवादी क. 01 से 03 ने छिपा दिया है। पैरा क. 11 में साक्षी ने यह बताया है कि प्रदर्श पी-1 का वसीयतनामा उसकी मां ने लिखा है। वसीयतनामा उसके मामा मुकुंद सिंह दीक्षित के सामने लिखा गया था। पैरा क. 12 में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी मां ब्रम्हवली अंगूठा भी लगाती है और हस्ताक्षर भी करती है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसकी मां अभी अंगूठा लगाती है।

19 वसीयत को प्रमाणित करने का दायित्व वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर रहता है अर्थात् उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा के चिन्ह लगाने के साथ उस दस्तावेज के प्रभाव या प्रकृति को समझते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे। अर्थात् वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निष्पादन के भौतिक एवं मानसिक दोनों तत्वों को प्रमाणित करना होता है। यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियों हो तो उसे भी प्रमाणित करने का दायित्व उसी पर होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत एच. व्यंकटवला अयंगर विरुद्ध जी.एन. चिम्बजम्बा एवं अन्य ए.आई.आई. 1959 एस.सी. 443 अवलोकनीय है।

20 वसीयत प्रदर्श पी-1 में ख.नं. 173/1 रकबा 0.022 हे. वसीयत किया जाना लेख है। वादी कृष्णमूर्ति ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्रीय कथनों में यह बताया है कि उसके पिता सल्लूसिंग ने उसकी मां ब्रम्हवली को ख.नं. 173/1 रकबा 0.022 हे. पर बना हुआ मकान बंटवारे में दिया था जिसे उसकी मां ब्रम्हवली ने उसे वसीयत की। जबकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे वर्ष 1980 में यह जगह उसके पिता ने दी थी जिस पर उसने मकान बनाया है। वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) में उपर्युक्त भूखण्ड पर मकान होने का कोई भी उल्लेख नहीं है। वादी साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) वसीयतकर्ता ब्रम्हवली को वसीयत लेख किये जाने के उपरांत पढ़कर, सुनाया, समझाया गया हो और न ही यह प्रकट हो रहा है कि वसीयतकर्ता ब्रम्हवली ने अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हों एवं उसके बाद अनुप्रमाणक साक्षी मुकुंद सिंह दीक्षित ने अपने हस्ताक्षर वसीयतनामा पर किये हों। वसीयतनामे के संबंध में वादी साक्षी कृष्णमूर्ति (वा.सा.-1) एवं अनुप्रमाणक साक्षी मुकुंद सिंह दीक्षित (वा.सा.-2) ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है तथा वादी के द्वारा वसीयत का निष्पादन प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही संदेहास्पद परिस्थितियों का कोई उचित स्पष्टीकरण भी

वादी साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। अतः वसीयतनामा (प्रदर्श पी-1) प्रमाणित नहीं माना जा सकता और उसके आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि प्रतिवादी क्र. 04 के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 173/1 रकबा 0.022 हे. पर निर्मित मकान की वसीयत की गयी है।

21 विवादित संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है। अतः यह देखा जाना है कि वादीगण का विवादित संपत्ति पर कितना अंश बनता है। वादीगण ने अपने दावे में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्र. 01 से 04 के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 708/2 में से कुछ अंशों का विक्रय किया है। वादीगण ने विवादित भूमि ख.नं. 708/2 के रकब 1.191 हे. पर विभाजन चाहा है परंतु सल्लूसिंग से विवादित भूमि ख.नं. 708/2 का रकबा 1.209 हे., ख.नं. 173/1 रकबा 0.280 हे., ख.नं. 173/2 रकबा 0.011 हे. प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ था। अतः उपर्युक्त विवादित भूमियों पर ही वादी एवं प्रतिवादीगण का अंश देखा जायेगा।

22 विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता सल्लूसिंग की है। यह उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि एवं मकान सल्लूसिंग को अपने पिता शंकरसिंग से उनकी मृत्यु उपरांत अर्थात् उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। फलतः विवादित भूमि एवं मकान सल्लूसिंग की पृथक संपत्ति होगी जिस पर पुत्रों को जन्मतः कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Yudhishter Vs. Ashok Kumar AIR 1987 SC 558** अवलोकनीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि सल्लूसिंग की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अतः उपर्युक्त विवादित संपत्ति का न्यायागमन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार होगा। धारा 8 में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग एक में विनिर्दिष्ट हैं, उन्हें न्यायगत होगी। अनुसूची वर्ग एक के अनुसार सर्वप्रथम पुत्र, उसके पश्चात् पुत्री, फिर विधवा को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रकरण में सल्लूसिंग की मृत्यु के समय उसके पुत्र, पुत्री एवं पत्नी जीवित थे। ऐसी दशा में विवादित संपत्ति में सल्लूसिंग के पुत्र, पुत्री एवं पत्नी को बराबर हिस्सा प्राप्त होगा।

23 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्र. 04 ब्रम्हवली की मृत्यु विचारण के दौरान हो चुकी है परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का विक्रय किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमियों पर उसका भी अंश निकाला जायेगा। सल्लूसिंग की जब मृत्यु हुई तब उसके तीन पुत्र, पत्नी एवं दो पुत्रियां जीवित थी, जो कि अनुसूची के वर्ग एक के वारिस हैं। अतः सभी को विवादित भूमियों पर 1/6-1/6 अंश प्राप्त होगा परंतु विवादित मकान के संबंध में प्रतिवादी ब्रम्हवली की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित मकान पर वादीगण का प्रतिवादी क्र. 01 से 03 के

साथ 1/5-1/5 अंश होगा।

24 प्रतिवादी क्र. 03 हीरासिंग एवं प्रतिवादी क्र. 04 ब्रम्हवली के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 708/2 रकबा 1.209 हे. में से 0.055 हे. का विक्रय किया जा चुका है। चूंकि उपर्युक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्र. 03 एवं 04 का भी अंश है और उनकी अंश की सीमा तक विक्रय वैध माना जायेगा तथा वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये विक्रयों को विवादित भी नहीं किया गया है तथा विक्रय पत्रों को शून्य घोषित कराये जाने की सहायता भी नहीं चाही गयी है। अतः ऐसी स्थिति में क्रेतागण को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार विवादित भूमि पर वादीगण का 1/6-1/6 अंश तथा विवादित मकान पर 1/5-1/5 अंश होना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 02 निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 03 का निराकरण

25 प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित संपत्ति का विधिवत विभाजन प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादीगण को विवादित मकान पर बंटवारा कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पुत्रियों को मकान के बंटवारा कराये जाने का अधिकार नहीं होता है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि धारा 23 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यह उपबंधित करती है कि नारी कुटुंब के सदस्यों के पूर्णतः अधिभाग के मकान का विभाजन के दावे का अधिकार तब तक नहीं है जब तक की पुरुष वारिस अपने-अपने अंशों का विभाजन करना प्रश्नागत नहीं करें, परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। अतः अब नारी उत्तरजीवी भी कुटुंब के सदस्यों के अधिभाग में निवास गृह में बंटवारे का दावा ला सकती है। वाद संस्थित दिनांक 22.12.2010 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 लागू नहीं थी। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क उचित न होने से अमान्य किया जाता है। अतः वादीगण का विवादित भूमि में 1/6-1/6 अंश एवं मकान में 1/5-1/5 अंश होना प्रमाणित पाया गया है। अतः वादीगण विधिवत विभाजन कराया जाकर आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 03 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

26 वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन 500/- रुपये स्वत्व घोषणा हेतु एवं 300/- रुपये स्थायी निषेधाज्ञा हेतु किया गया है। विवादित भूमियां ख.नं. 173/1 रकबा 0.260 हे., ख.नं. 173/2 रकबा 0.011 हे., ख.नं. 708/2 रकबा 1.191 हे. का भू-राजस्व पांच रुपये निर्धारित है। अतः वाद का मूल्यांकन

भू-राजस्व के बीस गुना के आधार पर किया जायेगा। विवादित मकान के मूल्य के संबंध में कोई भी निश्चायक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी के द्वारा स्वत्व घोषणा हेतु 1,000/- रुपये एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 120/- रुपये न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। जबकि वादी को स्वत्व घोषणा हेतु मात्र 500/- रुपये न्यायालय शुल्क अदा करना था परंतु इससे न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी की ओर से किया गया मूल्यांकन अनौचित्यपूर्ण एवं मनमाना नहीं कहा जा सकता और न ही अपर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया जाना माना जा सकता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 04 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 05 का निराकरण

27 वादीगण द्वारा वाद कारण दिनांक 17 फरवरी 2009 को प्रतिवादीगण द्वारा दैनिक आत्मा का तांडव पेपर में विवादित भूमियों के विक्रय हेतु इशतेहार जारी किये जाने पर उत्पन्न होना बताया है। यह उल्लेखनीय है कि वाद कारण के निर्धारण के लिए लिखित कथन के तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं बल्कि वाद पत्र में किये गये अभिवचन के आधार पर भी वादकारण उत्पन्न होने तथा परिसीमा काल की गणना की जाती है। वादीगण द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2009 को वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात दिनांक 22.12.2010 वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा स्वत्व की घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है। अतः तीन वर्ष के भीतर वादीगण के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने से दावा समय सीमा में है। साथ ही वादीगण द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहे जाने से भी विभाजन के लिए कोई परिसीमा काल न होने से दावा परिसीमा में ही माना जायेगा। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 05 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 06 का निराकरण

28 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण विवादित भूमि एवं मकान पर अपना अंश प्रमाणित करने में तथा दावा समयावधि में होना प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण अपने अंश अनुसार विवादित भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी पाये गये हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की मृत्यु उपरांत सल्लूसिंग के वारसान होने के नाते सभी का उसकी संपत्तियों पर स्वत्व एवं आधिपत्य माना जायेगा। संयुक्त संपत्ति में एक सहस्वामी का कब्जा दूसरे सहस्वामी के विधिक कब्जे के तुल्य होता है, जबकि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाये। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि उन्होंने वादीगण को विधि की दृष्टि से विवादित भूमि एवं मकान से बेदखल किया है। चूंकि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमियों के विक्रय हेतु समाचार पत्र में इशतेहार भी जारी किया गया

जिसे स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। निश्चित ही प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि एवं मकान में वादीगण को उनके स्वत्व एवं आधिपत्य से वंचित किये जाने का प्रयास किया गया है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :—

1. वादीगण का विवादित भूमि तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 173/1 रकबा 0.260 हे., ख.नं. 173/2 रकबा 0.011 हे., ख.नं. 708/2 रकबा 1.191 हे. में 1/6—1/6 अंश एवं कसारी मोहल्ले में आबादी भूमि पर स्थित मकान (जिसके उत्तर में प्रेमनारायण, दक्षिण में राजकुमार कसार, पूर्व में चिरोंजी वगैरह और पश्चिम में शिवपाल धोबी का मकान है) में 1/5—1/5 अंश के स्वत्वाधिकारी हैं।
2. वादीगण विवादित भूमि एवं मकान का विभाजन कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
3. प्रतिवादीगण क्र. 01 से 04 के पक्ष में दिनांक 15.10. 1995 को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित संशोधन क्र. 192 अवैध होकर वादीगण के उपर बंधनकारी नहीं है।
4. प्रतिवादीगण को विवादित भूमि एवं मकान में वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।
5. चूंकि वादीगण के द्वारा बंटवारे की सहायता चाही गयी है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
6. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

